>

Title: Regarding alleged irregularities found in implementation of SC/ST and OBC reservation quota in AIIMS and other Government Departments.

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): सभापति महोदय जी, आजकल सरकार की नौकरियों में ओबीसी और एससीएसटी के आरक्षण में जो भेदभाव किया जा रहा है, यह बहुत ही गंभीर मामला है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हैं। आज नौकरियों में जो संवैधानिक अधिकार मिला है, उसके साथ साजिश और भेदभाव किया जा रहा है। नौकरियों में नियुक्ति से लेकर प्रमोशन तक में साजिश की जा रही है जिससे प्रमोशन में अवरोध पैदा हो। अभी दिल्ली के एम्स में आरक्षण के नियमों की अनदेखी की जा रही है।

अगस्त 2011 सेशन में बीएससी और एमएससी नर्सिंग कोर्स में प्रवेश के लिए छपे प्रास्पेक्टस में लिखा था कि एससी के लिए 15 परसेंट और एसटी के लिए साढ़े सात परसेंट सीटें आरक्षित होंगी, लेकिन सीटों के बंटवारे का जो टेबल दिखाया गया है, इसमें इस नियम को दरकिनार कर दिया गया है। एम्स ने अपने प्रास्पेक्टस में लिखा है कि एमएससी नर्सिंग में 18 सीटें हैं। इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कोई आरक्षण नहीं है। इसी तरह से बीएससी नर्सिंग आनर्स की कुल सीटों की संख्या 60 है, इसमें केवल 7 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई हैं, जो कि आरक्षित सीटों से बहुत ही कम हैं।

सभापति महोदय, मेरी मांग और अनुरोध है कि सरकार एम्स सहित केंद्र के सभी मंत्रालयों और विभागों, उपक्रमों, चिकित्सा संस्थानों, शैक्षणिक संस्थाओं आरक्षण के अनुरूप सीटों को भरने के लिए कार्यवाही करे। मैं आपसे चाहूंगा कि संसदीय कार्य मंत्री रावत जी सदन में मौजूद हैं, इस बारे में जरूर आश्वासन दें कि आने वाले दिनों में ऐसा भारत सरकार की नौकरियों में नहीं होगा।